RNI Regd. No. 7756/59
स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति
दण्डकारण्य समाचार
65वां वर्ष
जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित
■ जगदलपुर, रविवार 26 मार्च 2023 ■ वर्ष 65 ■ अंक 63 ■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य 2.00 ■ संस्थापक - स्व. श्री तुषार कांति बोस

इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से मिली राहत, पांच मामलों में पेश होने के लिए सुरक्षात्मक जमानत मंजूर

लाहौर 25 मार्च (ए)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की सुरक्षात्मक (प्रोटेक्टिव) जमानत की अवधि तीन दिन और बढ़ाकर 27 मार्च तक कर दी गई है। इमरान को लाहौर हाइकोर्ट (एलएचसी) में व्यक्तिगत हाजिरी देने के बाद, इस्लामाबाद में दर्ज पांच मामलों में पेश होने के लिए सुरक्षात्मक जमानत मंजूर की गई है। इससे पहले दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशखाना मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ अर्जी दी थी।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक स्थगित

नयी दिल्ली 25 मार्च (ए) दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को आगामी पांच अप्रैल तक स्थगित कर दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील की ओर से विस्तृत दलीलें देने के लिए समय देने की मांग किये जाने पर सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

कोविड और इंफ्लुएंजा के मामलों पर नजर रखें राज्य

नयी दिल्ली 25 मार्च (ए) केंद्र सरकार ने कोविड, इंफ्लुएंजा और श्वसन संबंधी गंभीर रोगों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि कोविड और इंफ्लुएंजा के लक्षण समान हैं और प्रारंभिक निदान भी समान है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड बचाव के मानकों के पालन के संबंध में आम जनता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोविड और इंफ्लुएंजा से बचाव? के लिए भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए और हवादार स्थानों पर रहना चाहिए।

मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है गांधी माफी नहीं मांगताः राहुल

◆ मेरे खिलाफ कार्रवाई विपक्ष के हाथ में बड़ा हथियार

नयी दिल्ली, 25 मार्च (ए) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के एक दिन बाद शनिवार को अपने किसी भी बयान के लिए माफी मांगने या खेद जताने से स्पष्ट इनकार करते हुए कहा, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता।

श्री गांधी ने राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय पर विशेष रूप से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके संसद की सदस्यता से अयोग्य किए जाने की कार्रवाई या उन्हें संसद में बोलने का मौका न दिए जाने का केवल एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उद्यमी 'अदानी जी' के संबंधों पर उठ रहे सवाल से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा, ÷मैं संसद में रहूं या संसद के बाहर रहूं। मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा और इससे पर्दा उठाकर ही रहूंगा।÷

श्री गांधी ने गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी उद्योग समूह तथा कथित शेल कंपनियों में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह पैसा अदानी का हो नहीं सकता, क्योंकि उनके कारोबार में इस स्तर की नकद कमाई नहीं होती। उन्होंने अदानी को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि यह पैसा जब भारत में ड्रोन और मिसाइल जैसे उद्योगों में लगाया गया है, तो रक्षा मंत्रालय को इसकी चिंता क्यों नहीं होती कि इसमें किसका पैसा लगा हुआ है। कांग्रेस नेता ने यह भी संकेत दिया कि अदानी के निवेशकों में चीन का एक नागरिक भी है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी नेता एवं विधि विशेषज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी के साथ संवाददाताओं के सामने आए श्री गांधी ने कहा, मैं नरेन्द्र मोदी पर सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं अदानी पर सवाल कर रहा हूं। आप अदानी को इसलिए बचा रहे हो, क्योंकि आप ही अदानी हो। सूरत की अदालत द्वारा 2019 के आपराधिक अवमानना के मामले में सजा सुनाये जाने को लेकर संवाददाताओं द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों को उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया, कानूनी मुद्दों पर सवाल मेरी लीगल टीम से पूछे जा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि श्री गांधी को सूरत के न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने गुरुवार को 2019 में आपराधिक मानहानि कारक उनके वक्तव्य को लेकर दायर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत कुसूरवार करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनायी है। सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है।

श्री गांधी को दो साल की कारावास की सजा सुनाये जाने के निर्णय के एक दिन बाद शुक्रवार को संसद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी।

श्री गांधी ने कहा कि वह संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिये जाने से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा,आप मुझे मारे, पीटें या जेल में डालें। मैं डरने वाला नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने अदानी की कंपनियों में आये पैसे के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के अलावा, यह मुद्दा भी उठाया कि अदानी को नियम बदलकर हवाई अड्डे के परिचालन के लाइसेंस कैसे दिए गए, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भाजपा का यह आरोप गलत और बेतुका है कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए विदेशों से मदद मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल

नई दिल्ली 25 मार्च,(ए)। सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी है जिसके बाद कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। वहीं अब सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका जनप्रतिनिधियों के अधिनियम की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है। यह याचिका ऐसे वक्त दायर की गई है, जब मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई।

विपरीत परिस्थितियों में भी हमने छत्तीसगढ़ वासियों का भरोसा रखा कायम : भूपेश

- ◆ मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित 'भरोसे का सम्मेलन' में शामिल हुए मुख्यमंत्री
- ◆ तीन न्याय योजनाओं के हितग्राहियों को 1949 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का अंतरण
- ◆ मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का किया शुभारंभ
- ◆ बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल भी किया लोकार्पित

रायपुर, 25 मार्च । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय 'भरोसे का सम्मेलन' से किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल 1949 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया तथा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लांच किया। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेन्टरों का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया।

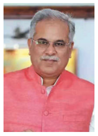

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षो के विपरीत परिस्थियों में भी हमने छत्तीसगढ़वासियों का भरोसा कायम रखा। इसी भरोसे का यह सम्मेलन है। प्रदेश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हित में लगातार कार्य हुए हमने उनका भरोसा और विश्वास राज्य सरकार पर बनाए रखा। राज्य सरकार की योजनाओं से प्रदेश के किसान खुशहाल हैं और खेती किसानी में प्रगति हुई है। शासन लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जेब में पैसे पहुंच रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों में सम्पन्नता आई है, जिससे प्रदेश के व्यापार-व्यवसाय भी फल-फूल रहे हैं, जिससे प्रदेश में मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान लगातार किसानों से चर्चा के दौरान यह बात आई थी कि उनकी धान बेचने की सीमा को बढ़ाया जाए, इसलिए किसानों का सम्मान करते हुए हमने यह निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि आज सरगांव से एक उल्लेखनीय कार्य के रूप में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया गया है। गांव में उद्योग खोलने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करना और रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने में रीपा की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को भी लाभकारी बताया और कहा कि वर्तमान में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शहरी क्षेत्र के मजदूरों का लाभ नहीं मिल पा रहा था इसलिए उनके लिए राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे गोधन न्याय योजना का विस्तार होता जाएगा, हम जैविक राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए लॉन्च किए गए वेबपोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा।

आदिवासी समाज हित और पेसा कानून को मजबूत बनाने का कार्य करें - लखमा

◆ अनुसूचित जनजाति सम्मेलन

रायपुर, 25 मार्च । वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने अनुसूचित जनजाति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक एकता के साथ समाज सुधार का कार्य करें और समाज के हित में पेसा कानून को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। श्री लखमा आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयोजित अनुसूचित जनजाति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थें।

मंत्री श्री लखमा ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गत वर्ष राज्य में पेसा कानून लागू किया गया।

पेसा कानून का राज्य में प्रारंभिक काल है। आदिवासी समाज के हित में सामाजिक एकता के साथ इसमें सुधार के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग को सुझाव दे। आयोग उनके सुझाव को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के हित में सरकार ने कोशिश की है कि आदिवासी क्षेत्रों में समाज के स्थानीय निवासियों को वहीं पर सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आदिवासी समाज को सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है। आदिवासी संस्कृति और सामाजिक संरक्षण के लिए सरकार द्वारा देवगुड़ी और घोटुल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। श्री लखमा ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के पंचायती राज का सपना ग्राम विकास से ही पूरा होगा। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच ही ग्राम का विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने कहा कि आयोग के वार्षिक अधिवेशन में उसके कार्यो की प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के पास कई चुनौतियां हैं। देश की आजादी के बाद आदिवासियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौका दिया गया।

कर्नाटक चुनाव : कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी

नई दिल्ली 25 मार्च,(ए)। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 124 सीटों की सूची जारी की है। वरुणा से सिद्धारमैया और कनकपुरा से डी.के. शिवकुमार चुनाव मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दो सीटों से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इनके अलावा एच.के पाटिल, रिजवान अरशद, कनीज फातिमा, य.ूटी खादर, एच. नागेश, दिनेश गुंडू राव को भी टिकट दिया गया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 17 मार्च को बैठक की और प्रत्येक सीट पर विचार-विमर्श किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार ने राज्य में किसी गठबंधन की संभावना से इनकार किया है।

सूत्रों के मुताबिक, कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। वर्तमान में, 224 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के 68 विधायक हैं। पार्टी की राज्य स्क्रीनिंग कमेटी ने पहले ही अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के नामों की एक सूची तैयार कर ली है। 224 सीटों के लिए 1,300 से अधिक आवेदन पार्टी को प्राप्त हुए थे। शिवकुमार ने कहा, राज्य के लोग बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं।

तेरह सांसदों को दत्तात्रेय ने दिया 'संसद रत्न' पुरस्कार

नयी दिल्ली, 25 मार्च (ए) हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को कहा कि संसद में पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री दत्तात्रेय ने संसदीय कार्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए सांसदों को सम्मानित करने के लिए चेन्नई के गैर सरकारी संगठन प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन द्वारा स्थापित संसद रत्न पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि संसद में युवा और उच्च शिक्षित लोग आयें जिससे वहां की चर्चा और बहस का स्तर उच्च होने के साथ-साथ सारगर्भित और फलदायी हो।

समारोह में विभिन्न दलों के 13 सांसदों और तीन पूर्व सांसदों को 'संसद रत्न' सम्मान दिया गया। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि राजनीति और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को आगे लाया जाना चाहिए। महिलायें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा।उन्होंने कहा कि भारत की संसद दुनिया की सबसे बेहतरीन संसद है और उन्हें विश्वास है कि संसद का यह सम्मान बना रहेगा और इसका स्तर निरंतर ऊंचा होता जायेगा।

श्री दत्तात्रेय के हाथों द्वारा ही अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस), विद्युत बरन महतो (भारतीय जनता पार्टी- भाजपा), सुधीर गुप्ता (भाजपा), अमोल राम सिंह कोल्हे (राकांपा), गोपाल चेन्नया शेट्टी (भाजपा), डॉ सुकांत मजूमदार (भाजपा), कुलदीप राय शर्मा (कांग्रेस), डॉ हीना विजयकुमार गावित (भाजपा), जयंत सिन्हा (भाजपा), डॉ विजय साई रेड्डी (वाईएसआरकांग्रेस), फौजिया तहसीन अहमद खान (राकांपा), मनोज कुमार झा (राष्ट्रीय जनता दल) और जॉन ब्रिटास (माकपा) को संसदीय कार्य की विभिन्न श्रेणियों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किये गये। इस मौके पर पूर्व सांसद टी के रंगराजन को डॉ अबुल कलाम आजाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। पूर्व सांसद छाया वर्मा (कांग्रेस) और समाजवादी पार्टी के विश्वम्भर प्रसाद निषाद को संसदीय कार्यों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया।

आज का इतिहास

1907- हिंदी की मशहूर कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रूखाबाद में हुआ।
1943- एल्सी एस ओट्ट को अमेरिकी वायुसेना पदक मिला और वह यह पदक पाने वाली पहली महिला बनीं।
1953- डा जोनास साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए नए टीके की घोषणा की।
1971- शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को बंगलादेश के रूप में स्वतंत्र देश घोषित किया।
26 मार्च को बंगलादेश स्वतंत्रता दिवस

बहुत खूब

सजा के बाद पीएम के दावेदार नहीं रह पाएंगे राहुल गांधी

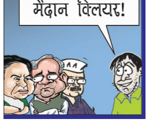
अब आपलोगों का मैदान क्लियर!
AA

80 की उम्र में खेलती थीं फुटबाल, मनाया 109वां बर्थडे

लंदन 25 मार्च (ए) । बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता. लेकिन उम्र धीरे-धीरे ढलते जानी है. चेहरे पर झुर्रियां आएंगी. बीमारियां घर बनाएंगी. पर इसी बीच कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं. ब्रिटेन की एक दादी कुछ ऐसी ही हैं. हाल ही में उन्होंने 109वां जन्मदिन मनाया और आप जानकर हैरान होंगे कि वह ब्रिटेन में सबसे उम्रदराज़ जीवित व्यक्ति से केवल चार साल छोटी हैं. इस उम्र में भी वह बिल्कुल फीट और दुरुस्त हैं. जब उनसे पूछा गया कि लंबे जीवन का राज क्या है, तो उन्होंने जो सीक्रेट शेयर किए उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे.

हम बात कर रहे हैं परदादी ओलिव एडवर्ड्स की. उत्तर यॉर्कशायर में रहने वाली ओलिव एक रिटायर शिक्षक हैं. वह दो बच्चों की मां, चार की दादी और छह बच्चों की परदादी हैं. सोशल मीडिया पर उनके बर्थडे की तस्वीरें शेयर हुई तो लोगों को यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि इस उम्र में भी वह इतनी फीट कैसे हैं. उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं. आज भी वह अपने पैरों पर चल सकती हैं. यहां तक कभी कभी किचन में भी घुस जाती हैं.

जिद्दी होना लंबे जीवन का राज

यह पूछे जाने पर कि उसकी लंबी उम्र का राज क्या है ओलवि ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत 'जिद्दी' हूं. मैं अपने रूटीन से कभी कंप्रोमाइज नहीं करती. हमेशा दिन में तीन बार खाना खाया. विशेष रूप से सामन और शतावरी खाना बेहद पसंद है. और सबसे खास बात, बहुत सारा पानी पीती हूं. अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने, बुनाई और सिलाई करने में बिताती हूं. लगातार सक्रिय रहना और अपना शौक कभी ना छोड़ना भी इसकी एक वजह है.।

सरकार, न्यायपालिका के बीच मतभेदों को टकराव नहीं माना जा सकता : रिजिजू

चेन्नई 25 मार्च,(ए)। लोकतंत्र में मतभेदों को अपरिहार्य बताते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेदों को टकराव नहीं माना जा सकता है। उन्होंने सरकार और न्यायपालिका के बीच किसी भी टकराव से इनकार किया। केंद्रीय कानून मंत्री मायलादुत्रयी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी राजा उपस्थित थे।

सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेदों पर कुछ मीडिया रिपोर्टें की ओर इशारा करते हुए, रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होना तय है और ये दृष्टिकोण में अंतर के कारण हैं लेकिन परस्पर विरोधी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इसका मतलब सरकार और सुप्रीम कोर्ट या विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव नहीं है। यह टकराव नहीं है, बल्कि केवल मतभेद हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपरिहार्य हैं।

केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार न्यायपालिका के स्वतंत्र होने का समर्थन करती है और बेंच और बार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता और अदालतों में उचित शालीनता और अनुकूल माहौल होना चाहिए। देश पर एक तानाशाह राजा का शासन नहीं है और मतभेदों को भारतीय लोकतंत्र में संकट के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

एनआईए की पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दो कार्यालय सील, 10 बैंक खातों पर लगाई रोक

नई दिल्ली 25 मार्च (ए)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने राजस्थान में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो कार्यालयों को सील कर दिया है और इसके 10 बैंक खातों पर भी रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने कहा कि एनआईए राजस्थान में पीएफआई नेताओं और कैडरों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश की जांच कर रही है, यह देश में विभिन्न समुदायों के बीच कट्टरपंथीकरण के जरिए खाई पैदा करने की कोशिश में शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा, प्रतिबंधित संगठन भोले-भाले मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी देता रहा है। वह 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन जुटाते रहे हैं।

इससे पहले एनआईए ने इस मामले में 13 मार्च को कोटा के मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ और बारां के सादिक सर्राफ के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अधिकारी ने कहा कि सितंबर 2022 में दर्ज मामले की जांच के दौरान पता चला कि पीएफआई के जयपुर और कोटा स्थित कार्यालयों का इस्तेमाल आतंकी प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए किया जा रहा था।

इन प्रशिक्षुओं, ज्यादातर युवा मुस्लिम युवाओं को सिर, गर्दन और छाती सहित शरीर के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाकर हमला करने, और हत्या करने के लिए खतरनाक हथियारों, जैसे चाकू और तलवार के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

लॉग ऑन करें : दण्डकारण्य समाचार इंटरनेट संस्करण http://www.dandakaranyasamachar.com ▼ → Go